ई–मेल/महत्वपूर्ण

कार्यालय–निदेशक मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 491 /सा0शा0/ज–1(16)।।। दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

परिपत्र

विभागीय जलाशयों/तालाबों की प्रबन्ध व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख शासनादेश सं0–24/2018/1263/सत्रह–म–2018–5(69)/81 दि0 27.08.2018 में किया गया है। वर्तमान में जारी उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(1) द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरुप समस्त श्रेणी के जलाशयों एवं श्रेणी बद्धता के क्रमांक –5 पर अंकित तालाबों के लिए मत्स्याखेट ठेके की अवधि दस वर्ष होगी, किन्तु पांचवे व सातवें वर्ष के उपरान्त ठेका संचालन की मध्यावधि समीक्षा सम्बन्धित जलाशयों के नियंत्रणाधीन सक्षम स्तर क्रमशः निदेशक मत्स्य,उ0प्र0/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा की जायेगी। ठेका बीच में छोड़ने पर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

ठेकेदार द्वारा पहले पॉच वर्ष सफलतापूर्वक ठेका चलाये जाने के उपरान्त ठेकेदार के क्रियाकलापों (किश्तों की धनराशि समय से जमा करने एवं प्रतिबन्धित अवधि में मत्याखेट गतिविधियों को रोकने तथा समुचित मात्रा में मत्स्य अंगुलिका संचय करने की स्थिति) के आधार पर पॉचवे वर्ष की 01 जून से 30 जून तक के मध्य, मध्यावधि समीक्षा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/जनपदीय विभागीय अधिकारियों एवं उप निदेशक मत्स्य की संस्तुति के आधार पर निदेशक मत्स्य के स्तर से अनुमोदित की जायेगी। उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम के जलाशयों हेतु मध्यावधि समीक्षा अधिशाषी प्रबन्धक (जलाशय) एवं मुख्य महाप्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जायेगी। उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ के जलाशयों हेतु मध्यावधि समीक्षा प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जायेगी। ठेकेदार द्वारा ठेका आगे चलाये जाने की सहमति की दशा में ठेका अनुबन्ध आगामी तीन वर्ष हेतु जलाशय के स्वीकृता अधिकारी द्वारा विस्तारित किया जायेगा।

ठेकेदार द्वारा पहले आठ वर्ष सफलतापूर्वक ठेका चलाये जाने के उपरान्त ठेकेदार के क्रियाकलापों (किश्त समय से जमा करने एवं प्रतिबन्धित अवधि में मत्स्याखेट गतिविधियों को रोकने तथा समुचित मात्रा में मत्स्य अंगुलिका संचय करने की स्थिति) के आधार पर मूल्यांकन सातवें वर्ष की 01 जून से 30 जून के मध्य किया जायेगा। उपयुक्त पाये जाने की दशा में ठेका अनुबन्ध पुनः आगामी दो वर्ष हेतु जलाशय के स्वीकृता अधिकारी द्वारा विस्तारित किया जायेगा। ठेके के प्रथम वर्ष की अवधि ठेके की स्वीकृत होने के दिनांक से प्रारम्भ होकर आगामी 30 जून तक मानी जायेगी। शेष वर्षो में ठेके की अवधि 01 जुलाई से 30 जून तक मानी जायेगी। 01 जुलाई से 31 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबन्धित रहेगा।

परन्तु उक्त शासकीय आदेशों के निर्गत होने के बावजूद प्रायः अनुबन्ध–पत्र में उपरोक्त दिये गये अर्थात् (5+3+2) पद्धति का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जो अनुचित है। अतः उक्त परिपत्र में निहित शासनादेशों का अनुपालन एवं पूर्व में जारी परिपत्रों के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना एवं कराना विभागीय अधिकारियों का दायित्व है। विचलन की दशा में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी। अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह0/

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांक– 491 /सा0शा0/ज–1(16)।।। उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित–:

1–समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
3–संयुक्त निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य(नियो0)/उप निदेशक मत्स्य, मुख्यालय।
4–गार्ड फाइल।

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,
लखनऊ।